कार्यालय नगर पालिका परिषद हसनपुर (अमरोहा)

–: सार्वजनिक सूचना :–

दिनांक :– 06.08.2016

नगर पालिका परिषद हसनपुर सीमान्तर्गत स्थित भवन/भूखण्डों पर गृहकर आरोपित करने के उद्देश्य से समस्त भवन/भूखण्डों स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (संशोधन 2011) की धारा 128(1), 140(1), 141(क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ के शासनादेश के अनुपालन में नियमानुसार स्वमूल्यांकन (स्वकर) उपविधि 2016 वित्तीय वर्ष 2016–17 से लागू कर दी गयी है।

समस्त भवन/भूखण्ड स्वामियों को कार्यालय के वसूली कर्मचारियों द्वारा स्वनिर्धारण **प्रपत्र "क"** वितरित किये जा रहे हैं। जिन भवन स्वामियों को **प्रपत्र "क"** नही प्राप्त होता है, वह कार्यालय के कर विभाग से स्व निर्धारण प्रपत्र निशुल्क प्राप्त कर भवन सम्बन्धी विवरण भरकर गृहकर निर्धारित कर कार्यालय में जमा करें।

आवासीय भवनों/भूमियों के वार्षिक मूल्यांकन की गणना भवन स्वामियों द्वारा स्वतः निम्न सूची के अनुसार (प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह) पर किया जायेगा।

क्रम सं0	कक्ष (वार्ड) का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	6 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			3 मी0 से 6 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			3 मी से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			केवल भूमि/भूखण्ड के सम्बन्ध में स्थित		
			RCC/RB छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	RCC/RB छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	RCC/RB छत सहित पक्का भवन	अन्य पक्का भवन	कच्चा भवन	6 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड	3 मी0 से 6 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड	3 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि/भूखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1 से 25	आवासीय	1.10	0.90	0.70	1.00	0.80	0.60	0.90	0.70	0.50	0.40	0.30	0.20

अनावासीय/गैर आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य से तात्पर्य उपरोक्त आवासीय मासिक किराया दरों के आधार पर आगणित वार्षिक मूल्य के 4 गुना मूल्य से है।

नोट– गृहकर स्वयं निर्धारित करें तथा वर्तमान मांग में 5 प्रतिशत छूट प्राप्त करें।

(एम0ए0खान)
अधिशासी अधिकारी

(कालू उर्फ राकेश बंसल)
अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद हसनपुर (अमरोहा)